ग्राम पंचायत धार, विकास खण्ड जुब्बल–कोटखाई जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2016 के

भाग–एक

1 **प्रस्तावना {क}:–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत धार विकास खण्ड जुब्बल–कोटखाई जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–

प्रधान :–

क0सं0	नाम	अवधि
1	डा0 शारदा धल्टा	1.4.13 से 22.1.16
2	श्री रमेश कुमार	23.1.16 से लगातार

सचिव :–

क0सं0	नाम	अवधि
1	श्री मदन शर्मा	1.4.13 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार:– ग्राम पंचायत धार के लेखाओं अवधि 4/13 से 3/16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क0 सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {लाखों में}
1	9	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.14
2	10	अनुदान का उपयोग न करना	8.33
3	11	निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना स्टॉक स्टोर का	4.63

		क्रय करना	
4	12	निर्माण सामग्री से voids की कटौती न करना	0.16
5	13	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियां न करना	4.87
6	14	लाखों का भुगतान वास्तविक व्यक्ति/पक्ष को न करके अनियमित प्रकार से अन्य पक्ष को करना	4.59

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत धार, विकास खण्ड जुब्बल–कोटखाई, जिला शिमला के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राम सिहं चौहान, अनुभाग अधिकारी और मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 12.12.2016 से 16.12.16 तक ग्राम पंचायत, धार के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 12/13, 12/14, 7/15 व 5/13, 11/14, 10/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत धार विकास खण्ड जुब्बल–कोटखाई जिला शिमला के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं0 5 दिनांक 16.12.2016 द्वारा सचिव, पंचायत धार से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत धार की अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं की रोकड़ बहियों/अभिलेख पर आधारित वित्तीय स्थिति अंकेक्षण को प्रस्तुत "**परिशिष्ट–क**" के अनुसार निम्न प्रकार से थीः–

स्व-स्त्रोत निधि

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	98589	27274	125863	39055	86808
2014-15	86808	31211	118019	15985	102034
2015-16	102034	127233	229267	69784	159483

सामान्य अनुदान निधि

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	698459.2	647132	1345591.2	873185	472406.2
2014-15	472406.2	590795	1063201.2	638281	424920.2
2015-16	424920.2	1315353	1740273.2	1268185	472088.2

14वां वित्त आयोग निधि

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	0	0	0	0	0
2014-15	0	0	0	0	0
2015-16	0	201158	201158	0	201158
		दिनांक 31.3.2016 को कुल योग			**832729.2**

नोटः–(i) सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों को एक ही रोकड़ बही में लेखांक्ति करके बैंक खातों में जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ वही में लेखांक्ति स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों की आय/व्यय की खाता बहियों (Ledger Accounts) का निर्माण नहीं किया गया है जिसके अभाव में स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों की आय/व्यय को अलग–अलग नहीं किया जा सकता।

(ii) रोकड़ बहियों में मासांत/वर्षान्त प्रारम्भिक व अन्तिम शेष नहीं दर्शाये गए हैं। अतः रोकड बहियों में दर्शाई गयी हस्तगत राशि के अतिरिक्त बैंक पास बुकों के दिनांक 1.4.2013 के प्रारम्भिक शेषों को ही वित्तीय स्थिति के दिनांक 1.4.2013 के प्रारम्भिक शेष (Opening Balance) लिया गया है।

5 (क) बैंक समाधान विवरणीः–

ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की जा रही है जिसके कारण दिनांक 31.3.2016 को रोकड वही और बैंक खातों के अन्तशेष में निम्न विवरणानुसार ₹4787.00 का अन्तर पाया गया। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना सं0 02 दिनांक 13.12.2016 की अनुपालना में **(परिशिष्ट–ग)** पर प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी में ₹4787 की राशि का समाधान कर दिया गया था। इस सन्दर्भ में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया गया कि बैंक समाधान विवरण तैयार न किए जाने के कारण यह अन्तर था। अतः नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

कम सं0	**विवरण**	**राशि**
1	रोकड वही पर आधारित वित्तीय स्थिति अनुसार शेष **(परिशिष्ट–क)**	832729.20
2	बैंक खातों के अनुसार शेष **(परिशिष्ट–ख)**	837516.20
	अन्तर	**4787**

(ख) अन्तर के कारणः–

1	रोकड वही पर आधारित वित्तीय स्थिति अनुसार शेष		832729.20
	(–) स्व स्त्रोत निधि की रोकड वही अनुसार हस्तगत राशि	(–)67	4787
	(–) सामान्य अनुदान निधि स्थानीय क्षेत्र विकास समिति की रोकड बही अनुसार हस्तगत राशि	(–)276	
	(–) सामान्य अनुदान निधि रोकड वही से चैक सं0 760063 जोकि दिनांक 19.10.15 को ₹47400 के स्थान पर ₹47790 में भुनाया गया।	(–)390	
	सामान्य अनुदान निधि रोकड वही चैक सं0 760071 दिनाक 27.1.2016 को जारी किया गया जिसे 31.3.2016	5520	

तक बैंक से भुनाया नहीं गया राशि जिसका समाधान नहीं किया गया

बैंक खातों के अनुसार शेष **837516.20**

6 **निवेशः–**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 12 के अनुसार यदि पंचायत निधियों में कोई अधिक्य (Surplus) राशि पाई जाती है तो इसे निवेश किया जाना होता है तथा निवेश का रजिस्टर फार्म–2 में तैयार करके उसमें निवेश की गई राशि का पूर्ण विवरण दर्ज किया जाना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में न तो कोई राशि निवेश की गई थी तथा न ही निवेश रजिस्टर लगाया गया था। अतः इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया जाए व भविष्य में अधिकय राशि को निवेश करके बचत खाते से अधिक ब्याज अर्जित किया जाए व तदानुसार निवेश रजिस्टर का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

7 **रोकड वही व बैंक खातों का नियमानुसार रख–रखाव न करनाः–**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में एक रोकड़ बही के निर्माण का प्रावधान है तथा नियम 4 के अन्तर्गत ग्प्रम पंचायत की स्व–स्त्रोत से प्राप्त आय और अनुदानों की प्राप्ति हेतु बैंक में दो खाते (खाता–''क'' व खाता–''ख'') खोले जाने का प्रावधन है। खाता–''क'' में पंचायत के स्व–संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता–''ख'' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाये जाने का प्रावधान है। परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख अनुसार ग्राम पंचायत धार में तीन रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है तथा तीन विभिन्न बैंक खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विपरीत रोकड़ बिहियों के निर्माण व बैंक खाते खोले जानें बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये। भविष्य में नियमानुसार ही रोकड़ बही व बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

8 **(क) बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः–**

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा केवल स्वः स्त्रोत निधि का बजट वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक तैयार किया था परन्तु सामान्य अनुदान निधि का बजट तैयार नहीं किया था जिसका कारण स्पष्ट करते हुए भविष्य में बजट तैयार किया जाए।

(i) सामान्य अनुदान निधि से वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक ₹2779651 का व्यय बजट पारित किया बिना किया गया जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्रम सं	**वर्ष**	**राशि**
1	2013–14	873185.00
2	2014–15	638281.00
3	2015–16	1268185.00
	योग	**2779651.00**

₹2779651 का व्यय बजट पारित किये बिना करना अनियमित है जिसको अब ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त करके नियमित किया जाए तथा अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

(ii) स्वतः स्त्रोत का वर्ष 2013–14 का बजट 7.4.13 को 2014–15 का 5.1.15 को तथा 2015–16 का 21.7.15 को पारित हुआ था। हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी से पूर्व बजट पारित होना चाहिए था परन्तु वर्ष 2013–14 व 2015–16 में बजट विलम्ब से पारित करने का कारण स्पष्ट किया जाए व भविष्य में समय पर बजट पारित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म–11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही प्रकार से रख–रखाव न करना:–

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अपेक्षित प्राक्कलन, आरेखण, प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी मंजूरी, मापन पुस्तिका, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख का सही प्रकार/व्यवस्थित ढंग से रख–रखाव नहीं किया गया था। जिसके कारण चयनित

मासों में किये गये लाखों रूपये के निर्माण कार्यों की पूर्ण जांच सम्भव नहीं हो सकी। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि सामान्य निधि से सम्बन्धित ₹1.50 लाख से अधिक के निर्माण कार्यों का तकनीकी अभिलेख खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में है। अतः व्यय हेतु चयनित मासों में उक्त तकनीकी अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाऐ। साथ ही सुझाव दिया जाता है कि पंचायत के समस्त अभिलेख का रख–रखाव व्यवस्थित/क्रमबद्व तरीके से किया जाये ताकि पंचायत द्वारा निष्पादित करवाये जा रहे लाखों रूपए के निर्माण कार्यों की उचित जांच सुनिश्चित हो सके व किसी भी प्रकार की वित्तीय चूक की सम्भावना न रहे।

9 पंचायत राजस्व गृहकर की ₹0.14 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत द्वारा स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित **परिशिष्ट–घ** में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक ₹13650 की राजस्व वसूली शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने का कारण स्पष्ट किया जाये व इसकी शीघ्र वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

10 अनुदान ₹8.33 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा **''परिशिष्ट–क''** पर उपलब्ध करवाई गई वित्तीय स्थिति/सूचना अनुसार दिनांक 31.3.16 को अनुदानों की कुल ₹832729.20 की राशि उपयोग हेतु शेष थी। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्व–स्त्रोत व विविध अनुदानों से सम्बन्धित आय–व्यय के सम्बन्ध में खाता बहियों (Ledger Accounts) का निर्माण नहीं किया गया है जिसके कारण स्व–स्त्रोत व विविध अनुदानों के आय–व्यय को अलग–अलग नहीं किया जा सकता। अतः सुझाव दिया जाता है कि पंचायत निधि खाता–'क' व खाता–'ख' के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन करके खाता बहियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.3.2016 को स्व–स्त्रोत व विविध अनुदानों के संकलित अन्तिम शेष में से विविध अनुदानों के अन्तिम शेष को अलग किया जाए तथा समस्त अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना ₹4.63 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं पूर्ण करना अपेक्षित है। चयनित मासों में व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–'ड.'** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹462605 के स्टोर/स्टॉक का क्रय औपचारिकता पूर्ण किए बिना किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है तथा साथ ही पंचायत को बाज़ार की प्रतिस्पर्धी दरों के लाभ से बंचित होना पड़ा। अतः स्टोर/स्टॉक का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 निर्माण सामग्री से ₹0.16 लाख के voids की कटौती न करना :–

अभिलेख की जांच में पाया गया कि चयनित मासों में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जो सामग्री क्रय की गयी उस पर नियमानुसार voids की कटौती की जानी अपेक्षित थी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट–च"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार निर्माण सामग्री से voids की कटौती न करने के कारण आपूर्तिकर्ता को ₹15705 का अधिक भुगतान किया गया। अतः किये गये अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

13 ₹4.87 लाख के स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियां न करना:–

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 72(1) (ए0 से डी0) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा क्रय की गयी वस्तुओं का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। सचिव पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्थाई व अस्थाई भण्डार रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया है। उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि समय–समय पर मदवार कितना स्टोर/स्टॉक क्रय किया, कितना जारी किया तथा किसी विशेष तिथि को कितनी मात्रा शेष थी, जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षाणाधीन अवधि 4/2013 से 3/2016 तक लाखों रूपये के स्थायी व अस्थाई स्टोर/स्टॉक का क्रय किया गया था। व्यय के अंकेक्षण हेतु चयनित मासों में अभिलेख की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ₹487333 की विभिन्न मदों, जिनका विवरण

परिशिष्ट–''छ'' में दिया गया है, का क्रय किया था परन्तु इन्हें भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था। नियमों के विपरीत उक्त अभिलेख का निर्माण न करना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपतिजनक भी है जिससे पंचायत निधियों के दुरूपयोग से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान क्रय किये गये समस्त स्टोर/स्टॉक को भण्डार रजिस्टर में दर्ज किया जाये तथा सुनिश्चित किया जाये कि उक्त अभिलेख के अभाव में निधियों का कोई दुरूपयोग नहीं हुआ है। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

14 ₹4.59 लाख का भुगतान वास्तविक व्यक्ति/पक्ष को न करके अनियमित प्रकार से अन्य पक्ष को करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 10 (2) व 17 (2) के अनुसार ₹1000 से अधिक की राशि का भुगतान केवल रेखांक्ति चैक द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति/पक्ष को किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि चयनित मासों में निम्न विवरणानुसार ₹458823 की राशि के विभिन्न भुगतान चैकों द्वारा वास्तविक व्यक्ति/पक्ष को न करके अन्य पक्ष/व्यक्ति को किए गए थे। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा चर्चा के दौरान अंकेक्षण को सूचित किया गया कि अन्य पक्ष द्वारा समय–समय पर बैंक से चैकों की राशि आहरित करके वास्तविक व्यक्तियों/पक्षों को नगद में भुगतान कर दिया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रस्तुत स्पष्टीकरण का अंकेक्षण में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तथा साथ ही यह प्रथा उक्त नियम के विरूद्व है। अतः अनियमित प्रकार से अन्य पक्षों को चैकों द्वारा भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सुनिश्चित किया जाए कि उक्त राशि का वास्तविक व्यक्तियों को भुगतान कर दिया गया है व अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए। भविष्य में उक्त नियम का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

क्रम सं0	माह	चैक सं0 व दिनांक	राशि	जिसके नाम चैक जारी किया	फर्म/व्यक्ति जिसके नाम भुगतान किया दर्शाया है	राशि	रोकड वही पृष्ठ सं0
1	5/13	7570096 6.5.13	43944	श्री विजय कुमार वार्ड सदस्य	1. लक्ष्मी स्टोन क्रशर, सनेल कुडू 2. वीर बहादुर 3 मस्ट्रोल 4 मै0 न्यु हाटेशवरी खड़ा पत्थर	23050 1950 1750 9976 7218	22
2	5/13	7570097 20.5.13	22788	श्री हरिष कुमार कमेटी	लक्ष्मी स्टोन क्रशर, सनेल कुडू	22788	23

				सदस्य			
3	5/13	435751 21.5.13	47000	श्री सत्य प्रकाश उप प्रधान	श्री रणसिंह सिरमौर	47000	23
4	5/13	7570099 21.5.13	25000	श्री शिव सिंह वार्ड सदस्य	1श्री महेन्द सिंह 2 मस्ट्रोल	14000 11000	23
5	11/14	435793	100000	श्री शिव सिंह वार्ड सदस्य	1 मैं0 खन्ना ईन्टरप्राईजिज़, जुब्बल 2 श्री सुरेन्द्र सिंह 3 लक्ष्मी स्टोन क्शर, सनेल कुडू 4 मस्ट्रोल	48467 533 19000 32000	63
6	11/14	435794 20.11.14	31301	श्री शिव सिंह वार्ड सदस्य	1 लक्ष्मी स्टोन क्शर, सनेल कुडू 2 मस्ट्रोल	17850 13451	
7	10/15	760063 19.10.15	47790	श्री मदन शर्मा, सचिव	1.मानदेय पंचायत पदाधिकारी 2 वेतन सिलाई अध्यापिका 3 वेतन चौकीदार	35400 6000 6000	97
8	10/15	760062 21.10.15	60000	श्री विजय चौहान	1 मस्ट्रोल	60000	98
9	10/15	760059 29.10.15	81000	श्री बुधी राम, एस0बी0आई0	लक्ष्मी स्टोन क्शर, सनेल कुडू	81000	98
योग			**458823**				

15 ₹0.83 लाख के मानदेय/वेतन का ग्राम पंचायत के पदाधिकारियो/कर्मचारियों को भुगतान बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा चयनित मासों में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार ₹82800 का मानदेय/वेतन का भुगतान किया, परन्तु मानदेय/वेतन की सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज/अभिलेख ग्राम

पंचायत कार्यालय में अंकेक्षण के अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं था, जिस कारण मानदेय/वेतन के भुगतान की सही दरों की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः मानदेय/वेतन के भुगतान की सही दरों की पुष्टि हेतु हिमाचल सरकार द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति पंचायत द्वारा कार्यालय में प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्रम सं0	**माह**	**विवरण**	**अवधि**	**राशि**
1	11/14	डा0श्शारदा धल्टा, प्रधान	4/14 से 9/14	12600
2	11/14	श्री सत्य प्रकाश, उप प्रधान	4/14 से 9/14	10800
3	11/14	श्रीमति नीनू देवी, सदस्य	4/14 से 9/14	2400
4	11/14	श्री शिव सिंह,सदस्य	4/14 से 9/14	2400
5	11/14	कु0 प्रेम लता, सदस्य	4/14 से 9/14	2400
6	11/14	श्रीमति ष्शारदा देवी, सदस्य	4/14 से 9/14	2400
7	11/14	श्री विजय चौहान, सदस्य	4/14 से 9/14	2400
8	10/15	डा0श्शारदा धल्टा, पूर्व प्रधान	4/15 से 9/15	12600
9	10/15	श्री सत्य प्रकाश	4/15 से 9/15	10800
10	10/15	श्रीमति नीनू देवी	4/15 से 9/15	2400
11	10/15	श्री शिव सिंह	4/15 से 9/15	2400
12	10/15	कु 0 प्रेम लता	4/15 से 9/15	2400
13	10/15	श्रीमति ष्शारदा देवी	4/15 से 9/15	2400
14	10/15	श्री विजय चौहन	4/15 से 9/15	2400
15	10/15	सिलाई अध्यापिका	4/15 से 6/15	6000
16	10/15	चौकीदार	4/15 से 6/15	6000
			योग	**82800**

16 ₹0.36 लाख की नगद प्राप्त आय को बैंक में जमा न करके उससे सीधे भुगतान करना :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक ₹117150 की राशि ''स्वः स्त्रोत निधि'' के रूप में नगद प्राप्त हुई थी। उक्त ₹117150 की राशि में से ग्राम पंचायत ने ₹36139 की राशि को बैंक में जमा न करके उसका व्यय विभिन्न मदों पर किया था तथा शेष ₹81011 की राशि को बैंक में जमा किया था जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–ज** पर है। प्राप्त आय की राशि को बैंक में जमा न

करना व उसे सीधे व्यय करना अनियमित है। अतः ''स्वः स्त्रोत निधि'' के रूप में नगद प्राप्त हुई आय को सीधे व्यय करने बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा भविष्य में नगद प्राप्त हुई आय की राशि को पहले बैंक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 ₹0.30 लाख की आबंटित राशि के स्वीकृति पत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः—

अंकेक्षण के दौरान चयनित मास 10/15 में पाया गया कि श्रीमति शारदा देवी को सामान्य निधि से राजीव आवास योजना के अन्तर्गत मकान निर्माण हेतु ₹30000 की राशि दूसरी किश्त के रूप में जारी की गयी। परन्तु इस राशि के व्यय से सम्बन्धित बिल/वाउचर, सम्बन्धित सक्षम अधिकारी का ''स्वीकृति पत्र'' व कार्य निष्पादित उपरान्त अपेक्षित ''उपयोगिता प्रमाण पत्र'' सहित पूर्ण अभिलेख की नस्ति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय की अंकेक्षण में पूर्ण जांच न हो सकी। अतः इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया जाये व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

18 ₹0.12 लाख की खाता ''ख'' की ब्याज राशि को खाता ''क'' निधि में हंस्तांतरित न करनाः—

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार खाता ''ख'' से अर्जित ब्याज को खाता ''क'' में हंस्तांतरित किया जाना अपेक्षित है। यह ब्याज राशि प्रत्येक जनवरी व जुलाई माह में हंस्तांतरित किया जाना अनिवार्य है परन्तु निम्न विवरणानुसार ₹11869 की ब्याज राशि अंकेक्षाणाधीन अवधि में कम जमा करवाई गई। अतः ब्याज राशि को तुरन्त खाता ''ख'' से खाता ''क'' में हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

वर्ष	माह	खाता ''ख'' में अर्जित ब्यात	खाता ''क'' में हस्तांतरित ब्यात	कम हस्तांतरित ब्याज
2013—14	9/13	10282	———	10282
	3/14	9564	———	9564
2014—15	9/14	10083	——	10083
	3/15	8976	———	8976
2015—16	9/15	256	———	11256
	3/16	11708	———	11708
			योग	**61869**

उक्त ₹61869 की राशि में से दिनांक 30.3.2016 को ₹50000 की राशि खाता ''क'' में जमा की गई थी। इस प्रकार ₹11869 की राशि(61869–50000) कम हस्तांतरित की गई थी जिसे अब जमा करवाया जाए। भविष्य में इस प्रकार की कोताही न बरती जाए व समय पर ब्याज राशि को खाता ''ख'' से खाता ''क'' में हस्तांतरित किया जाए व अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

19 ₹1500 की राशि का अधिक भुगतान करनाः–

सामान्य निधि के चयनित माह 11/14 का अवलोकन करने पर पाया कि ₹1500 की राशि का ग्राम पंचायत द्वारा लक्ष्मी स्टोन क्शर, सनेल कुडू को अधिक भुगतान किया गया है जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रम सं0	माह	वाउचर सं0	दिनांक	फर्म का नाम	भुगतान योग्य राशि	भुगतान की गई राशि	अधिक भुगतान की गई राशि
1	11/14	466	7.10.14	लक्ष्मी स्टोन क्शर सनेल कुडू	27000	28500	1500
						योग	**1500**

अतः इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया जाए तथा अधिक भुगतान की गई राशि को सम्बनिधत से वसूल करके उसे पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

20 ₹390 की राशि वास्तविक व्यय से अधिक आहरित करनाः–

सामान्य निधि के चयनित माह 10/15 का अवलोकन करने पर पाया कि ₹390 की राशि को बैंक से वास्तविक व्यय से अधिक आहरित किया गया था जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रम सं0	चैक सं0	दिनांक	आहरित की गई राशि	वास्तविक व्यय	अधिक आहरित की गई राशि
1	760063	19.10.15	47790	47400	390
				योग	**390**

अतः इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया जाए तथा अधिक भुगतान की गई राशि को सम्बनिधत से वसूल करके उसे पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

21 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा कुछ रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट–झ** पर संलग्न है। अपेक्षित रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव न करना अनियमित ही नहीं अपितु आपतिजनक भी है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

22 विविधः–

(क) हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 10(2) व 17 के अनुसार ₹1000 से अधिक का भुगतान चैक द्वारा किया जाना अपेक्षित है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा कई बार इस प्रकार का भुगतान नगद रूप में किया गया था। भुगतान की रसीदें/पावतियाँ भी प्राप्त नहीं की गई थीं जिससे पंचायत निधि के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः पाई गई अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व अंकेक्षणाधीन अवधि में इस प्रकार के नगद भुगतानों की रसीद/पावती आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण दिखाई जाए। भविष्य मे उक्त नियम की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित की जाये।

(ख) हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार पंचायत द्वारा स्वीकृत व्यय से सम्बन्धित प्रस्ताव संख्या व दिनांक प्रत्येक बिल/वाउचर पर अंक्ति किया जाना अपेक्षित है ताकि कोई भी व्यय पंचायत की स्वीकृति के बिना न हो। परन्तु अंकेक्षणाधीन अवधि में उपरोक्त निर्देशों की पूर्ण अवहेलना हुई है जो कि अनियमित है। अतः पाई गई अनियमितता बारे स्पष्टीकरण दिया जाये तथा सुनिश्चित किया जाये कि अंकेक्षणाधीन अवधि में कोई भी व्यय पंचायत की स्वीकृति के बिना नहीं किया गया है अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये। भविष्य में उपरोक्त नियम का कडाई से पालन किया जाये।

(ग) हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं

किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु प्रतिभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान उक्त समिति ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई थी, परन्तु उक्त समिति द्वारा कोई भी बिल/वाउचर/मस्ट्रोल को सत्यापित नहीं किया गया था। अतः अंकेक्षणाधीन अवधि के समस्त बिल/वाउचर/मस्ट्रोल को प्रतिभागी समिति से सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपानला से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

23 लघु आपति विवरणिकाः— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

24 निष्कर्षः— लेखों के रख रखाव एवं सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(i) 55/2017—खण्ड—1—2110—2113 दिनाँकः10.04.2017 शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत धार, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई, तहसील जुब्बल कोटखाई, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई, तहसील जुब्बल कोटखाई, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881